वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की गतिविधियों का कलेण्डर :–

क्र.सं.	गतिविधियां	तिथि
1	आवेदन पत्रों का जिला कलक्टर्स को प्रेषण	29.12.2014
2.	जिला कलक्टर्स से विडियों कॉफ्रेंसिंग	30.12.2014 सांय 4 बजे
3	जिला कलक्टर्स द्वारा जिला स्तरीय बैठक का आयोजन	31.12.2014
4.	आवेदन पत्र भरवाना प्रारम्भ	05.012015
5	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	15.01.2015
6	ट्रेन प्रभारी, चिकित्सा प्रभारी, नर्सिंग स्टॉफ, अनुरक्षकों का चयन	15.01.2015
7	आवेदन पत्रों की कम्प्यूटर में प्रविष्टि	20.01.2015
8	यात्रियों का जिला स्तर पर लॉटरी द्वारा चयन	27.01.2015
9	चयनित यात्रियों को प्रस्थान की सूचना	05.02.2015
10	अनुरक्षकों का प्रशिक्षण	05 एवं 06.02.2015
11	प्रथम यात्री गाड़ी रवानगी (संभावित)	10.02.2015

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, 2014

परिशिष्ट 1

संक्षिप्त नाम व प्रारंभ :– वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, 2014

योजना का उद्धेय :– इस योजना का उद्धेश्य राजस्थान के मूल निवासी वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) को उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर देश में स्थित विभिन्न नाम निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक स्थान की यात्रा सुलभ कराने हेतु राजकीय सुविधा एवं सहायता प्रदान करना है।

परिभाषाऐं :– इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "तीर्थ स्थान" से तात्पर्य उस स्थान/स्थानों से है जो कि देवस्थान विभाग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किये जायें।

(ख) "यात्रा" से तात्पर्य नियम 3 (क) में उल्लेखित स्थान की यात्रा एव उक्त स्थान की यात्रा के लिये की गई अनुषांगिक यात्राओं से है।

(ग) "यात्री" से तात्पर्य उस व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह से है जो नियम 3 (क) में उल्लेखित स्थान/ स्थानों की यात्रा प्रारंभ करता है।

(घ) "आवेदक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति/ व्यक्तियों के समूह से है जो कि नियम 3(क) में उल्लेखित स्थान की यात्रा करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है।

(ड) "सहायक" से तात्पर्य उस पुरूष से है जो कि 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के आवेदक/ आवेदकों के साथ यात्रा पर जाता है। यह पुरूष 21 वर्ष से अधिक एवं 45 वर्ष से कम आयु का होना चाहिये।

(च) "कोटा" से तात्पर्य यात्रियों की उस संख्या से है जो राज्य सरकार/ देवस्थान विभाग राज्य, जिला अथवा अन्य प्रकार से निर्धारित करें।

(छ) "ऐजेन्सी" से तात्पर्य उस संस्था अथवा संगठन से है जिसका चयन राज्य सरकार इस नियम के अन्तर्गत यात्राऐं आयोजित करने हेतु करे। प्रथमतः आई. आर.सी.टी.सी. के पैकेज के अनुसार यात्रियों को भेजा जावेगा।

(ज) "संचालक" से तात्पर्य उस अधिकारी से है जिसे योजना के संचालन हेतु देवस्थान विभाग द्वारा अधिकृत किया जावे।

(झ) "जीवन साथी" से तात्पर्य यात्री की पत्नि अथवा पति से है।

(ञ) "अनुरक्षक(एस्कॉर्ट)" से तात्पर्य उस अधिकारी / कर्मचारी अथवा व्यक्ति से है जो आवेदक/ आवेदकों के साथ राज्य सरकार की ओर से यात्रा पर भेजा जावेगा।

यात्रा पर जाने के लिये पात्रता :– इस योजना के अन्तर्गत आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करनी होंगी–

1. राजस्थान का मूल निवासी हो एवं 60 वर्ष से अधिक आयु का हो।
2. आयकरदाता न हो
3. इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में यात्रा न किये जाने संबंधी आशय का self declaration यात्री को देना होगा। यदि किसी भी समय यह पाया गया कि यात्री द्वारा इस शर्त का उल्लंघन किया गया है तो यात्रा पर हुआ सम्पूर्ण व्यय एवं उस पर 25 प्रतिशत राशि दण्डात्मक देय होगी एवं आई.पी.सी. के प्रावधानों के अन्तर्गत वसूली/ दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
4. भिक्षावृत्ति पर जीवन यापन करने वाले योजना के पात्र नहीं होंगे।
5. यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग यथा टी0बी0,काजेस्टिव कार्डियक, श्वास में अवरोध संबंधी बीमारी, Coronary अपर्याप्तता, Coronary thrombosis मानसिक व्याधि, संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो।
6. वरिष्ठ नागरिक को चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह व्यक्ति प्रस्तावित दस दिवसीय यात्रा हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं सक्षम है।

केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार /केन्द्र व राज्य सरकार के उपक्रम/ स्थानीय निकाय से सेवा निवृत्त कर्मचारी/ अधिकारी यात्रा के पात्र नही होंगे।

. निरर्हता :—

1. यदि यह पाया गया कि आवेदक/यात्री ने असत्य जानकारी देकर या तथ्यों को छुपाकर आवेदन किया है तो उसे किसी भी समय योजना के लाभों से वंचित किया जा सकेगा।
2. नियम 15 में वर्णित शर्तों के उल्लंघन पर भी आवेदक/ यात्री को योजना के लाभों से वंचित किया जा सकेगा।
3. नियम 5(1) एवं (2) के अन्तर्गत निरर्ह व्यक्ति को भविष्य में आवेदन के लिये भी निरर्ह घोषित किया जा सकेगा।

तीर्थ स्थानों की सूची :– यात्रा हेतु तीर्थ स्थान इस प्रकार हैं–

1.	जगन्नाथपुरी	2.	रामेश्वरम्	3.	वैष्णोदेवी
4.	तिरूपति	5.	गया–काशी	6.	अमृतसर
7.	सम्मेदशिखर	8.	गोवा	9.	द्वारिकापुरी
10.	बिहार शरीफ	11.	शिरडी		

उक्त सूची में देवस्थान विभाग द्वारा और स्थानों को सम्मिलित अथवा कम किया जा सकेगा।

आवेदन की प्रक्रिया :–

1. आवेदन विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में किया जायेगा।
2. आवेदन पत्र मात्र हिन्दी में ही भरा जावेगा।
3. आवेदन के साथ 3.5X3.5 साईज का नवीनतम रंगीन फोटो निर्धारित स्थान पर फ्रन्ट पोज में (सफेद पृष्ठ भूमि मात्र) लगाना होगा।
4. आवेदन के साथ निवास के साक्ष्य (प्रूफ ऑफ रेजीडेन्स) के लिये मतदाता फोटो पहचान पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
5. आवेदन पत्र जिस लिफाफे में प्रेषित किया जाय उस पर "**वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिये आवेदन**" अंकित किया जाये। आवेदन पत्र में अपनी पसन्द के दो तीर्थ स्थल वरियता (preference) में उल्लेख किया जाना चाहिये।
6. आवेदक को किन्हीं दो नाम निर्देशितियों का नाम एवं अन्य विशिष्टियां जिनसे उनसे किसी आपात स्थिति में तुरन्त संपर्क किया जा सके, का वर्णन भी आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर करना होगा। अपने कम से कम एक नामनिर्देशिति का मोबाईल नबर देना आवश्यक होगा।
7. 70 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति, जिसने कि अकेले यात्रा करने हेतु आवेदन किया है, को अपने साथ सहायक को यात्रा पर ले जाने की पात्रता होगी। पति / पत्नि के साथ साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की सुविधा नही रहेगी। सहायक का यात्री का संबंधी होना आवश्यक नहीं है।

8. यदि आवेदक पति/पत्नि में से किसी का नाम चुना जाता है तो उसका जीवन साथी यात्रा पर साथ जा सकेगा। आवेदक के जीवनसाथी की आयु 60 वर्ष से कम होगी तब भी आवेदक के साथ यात्रा कर सकेगा/सकेगी। आवेदन करते समय ही आवेदक को यह बताना होगा कि उसका जीवन साथी भी उसके साथ यात्रा करने का इच्छुक है ऐसी स्थिति में उक्त जीवन साथी का आवेदन भी आवेदक के आवेदन के साथ ही संलग्न करना होगा।
9. सहायक को यात्रा पर ले जाने की दशा में उसे भी उसी प्रकार की सुविधा प्राप्त होगी हो कि यात्री को अनुज्ञेय है।
10. आवेदक को सम्बन्धित उपखण्ड कार्यालय में यात्रा हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

चयन की प्रक्रिया :–

1. यात्रियों का चयन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा निम्न लिखित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जावेगा–
2. प्रत्येक स्थान की यात्रा हेतु प्राप्त आवेदनों में से उपलब्ध कोटे के अनुसार यात्रियों का चयन किया जायेगा। यदि निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लॉटरी द्वारा यात्रियों का चयन किया जायेगा। कोटे के 20 प्रतिशत अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची भी बनायी जायेगी।
3. चयनित यात्री के यात्रा पर न जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्ति को यात्रा पर भेजा जा सकेगा।
4. लॉटरी निकालते समय आवेदक के आवेदन के साथ उसकी पत्नि अथवा पति (यदि उनके द्वारा भी यात्रा के लिये आवेदन किया गया हो) एवं सहायक (यदि सहायक की पात्रता हो और सहायक ने भी यात्रा पर जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया हो) को एक मानते हुऐ लॉटरी निकाली जायेगी एवं लॉटरी में चयन होने पर यात्रा के लिये उपलब्ध बर्थ/सीटों में से उतनी संख्या कम कर दी जायेगी।
5. चयनित यात्रियों एवं प्रतीक्षा सूची को कलक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर एवं अन्य ऐसे माध्यम से हो कि उचित समझे प्रसारित किया जायेगा।
6. केवल वह व्यक्ति ही जिसका चयन किया गया है, यात्रा पर जा सकेगा। वह अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को नही ले जा सकेगा।

यात्रा की प्रक्रिया :–

1. जिला कलक्टर द्वारा चयनित यात्रियों की सूची सरकार द्वारा निर्धारित ऐजेन्सी को सौंपी जायेगी।
2. निर्धारित ऐजेन्सी यात्रियों के समूह को यात्रा पर ले जाने की व्यवस्था करेगी।
3. यात्रियों के यात्रा व्यय एवं उन्हें उपलब्ध कराये जाने वाली सुविधाओं का विनिश्चय सरकार द्वारा किया जायेगा।
4. यात्रियों के साथ अनुरक्षक(एस्कॉर्ट) के रूप में देवस्थान विभाग, राजस्व, पर्यटन विभाग के राजकीय अधिकारियों/ कर्मचारियों को भेजा जायेगा। इन विभागों के कर्मचारियों के उपलब्ध नही होने की स्थिति में अन्य विभागों एवं राजकीय निगम/ मण्डल/ आयोग के अधिकारियों के उपलब्ध नही होने की स्थिति में अन्य विभागों एवं राजकीय निगम/मण्डल/आयोग के अधिकारियों /कर्मचारियों को भी भेजा जा सकेगा। उक्त व्यवस्था पर होने वाला व्यय राज्य सरकार वहन करेगी।
5. यात्रियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबधी व्यवस्था जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

एक बार यात्रा शुरू करने पर यात्री यदि बीच में यात्रा छोडना चाहगा तो

उसे ऐसी सुविधा सरकार की ओर से नही दी जावेगी।

यात्रियों के समूह :– यात्रा केवल सामूहिक रूप से आयोजित की जायेगी। उक्त समूहों का निर्धारण राज्य सरकार अथवा सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकारी/ऐजेन्सी द्वारा किया जायेगा। किसी तीर्थ स्थान की यात्रा के लिये सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सख्या में यात्री उपलब्ध होने पर ही यात्रा प्रारंभ की जायेगी। योजना के अन्तर्गत चयन होने मात्र से ही किसी व्यक्ति को यात्रा कराने हेतु राज्य सरकार बाध्य नही होगी।

अन्य व्यक्तियों के यात्रा करने पर प्रतिबन्ध :– केवल वह व्यक्ति ही जिसका चयन इस योजना के अन्तर्गत यात्रा हेतु किया गया है, इस यात्रा पर जा सकेगा। वह अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को, भले ही वह यात्रा का व्यय देने हेतु तैयार हो, यात्रा में साथ नही ले जा सकेगा। ट्रेन एवं वाहनों में केवल चयनित व्यक्ति ही यात्रा करेगा और एक सीट/बर्थ पर केवल एक ही व्यक्ति यात्रा करेगा।

अतिरिक्त व्यय के संबंध में :– यदि कोई यात्री, यात्रा के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों/ सुविधाओं के अतिरिक्त सुविधायें प्राप्त करना चाहता है तो उसका भुगतान उसे स्वयं करना होगा।

यात्रा के दौरान अपेक्षाऐं :–

1. यात्री किसी तरह के ज्वलनशील पदार्थ या मादक पदार्थ किसी भी रूप में साथ नही ले जा सकेंगे।
2. यात्री अपने साथ कोई मूल्यवान वस्तु तथा आभूषण आदि भी नही जा सकेंगे।
3. यात्री तीर्थ की मर्यादा के अनुसार आचरण करेंगे ताकि प्रदेश की छवि अन्यथा प्रभावित न हों।
4. यात्री अपने निर्धारित सम्पर्क अधिकारी के निर्देशों का पालन करेंगे।
5. यात्रियों द्वारा उपरोक्त आचार संहिता के पालन करने संबंधी आशय का शपथ पत्र दिया जायेगा।

यात्रा के दौरान अप्रत्याशित परिस्थितियॉं :– यात्रा के दौरान होने वाली किसी दूर्घटना अथवा कठिनाई के लिये राज्य शासन अथवा उसका कोई अधिकारी/ कर्मचारी उत्तरदायी नही होगा।

योजना का व्यय :– योजना के क्रियान्वयन हेतु व्यय (बजट सीमा तक) जिसमें यात्रा व्यय, अन्य प्रशासनिक व्यय तथा परिवहन, दूरभाष, विज्ञापन, प्रचार–प्रसार, व्यवसायिक एवं परामर्श सेवायें प्राप्त करना, सत्कार व्यय तथा यात्री बीमा व्यय आदि सम्मिलित हैं, करने के लिये प्रमुख शासन सचिव, देवस्थान/ आयुक्त, देवस्थान विभाग सक्षम होंगे।

संचालक :– योजना के दिन प्रतिदिन संचालन/ मोनिटरिंग हेतु एक अधिकारी की नियुक्ति की जावेगी। उसको आवश्यकतानुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां देवस्थान विभाग द्वारा प्रत्यायोजित की जा सकेगी।

अन्य :– उपरोक्त वर्णित नियमों में प्रावधान होते हुऐ भी योजना के क्रियान्वयन हेतु संसाधनों की उपलब्धता सुलभ कराने एवं प्रशासनिक निर्णय, जिमें वित्तीय व्यय (बजट प्रावधान की सीमा तक) भी सम्मिलित हैं के लिये आयुक्त देवस्थान विभाग अधिकृत होंगे।

योजना का निर्वचन :– इस योजना के किसी भी दिशा निर्देश, आदेश की व्याख्या के लिये देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।